झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–342 वर्ष 2017

माछो देवी, पत्नी–बुधन उरांव, निवासी ग्राम–भूसूर, डाकघर–जालिम, थाना–लातेहार, जिला–लातेहार, झारखण्ड .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची में है।
3. उपायुक्त, लातेहार, डाकघर और थाना–लातेहार, जिला–लातेहार।
4. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, डाकघर और थाना–लातेहार, जिला–लातेहार।
5. उपायुक्त, लातेहार, डाकघर और थाना–लातेहार, जिला–लातेहार।
6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लातेहार, डाकघर और थाना–लातेहार, जिला–लातेहार।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री लोकेश्वरी बनर्जी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्रीमती अमृता कुमारी, सीनियर एस0सी0–I के जे0सी0

2/दिनांकः 10वीं अप्रैल 2017

1. तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 23.08.2016 की समाप्ति के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के अलावा प्रतिवादी संख्या 3, उपायुक्त, लातेहार को दिनांक 23.08.2016 की समाप्ति के आदेश के खिलाफ दायर अपील दिनांक 05.12.2016 के निपटान पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

2. याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि रिट याचिका दायर करने तक, अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर की गई अपील, जो रिट याचिका का अनुलग्नक–7 है, में कोई आदेश पारित नहीं किया है।

3. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि यदि अपील के निपटान के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को एक निर्देश जारी किया जाता है, तो प्रतिवादी को इस कार्रवाई पर काई गंभीर आपत्ति नहीं होगी।

4. याचिकाकर्त्ता की सीमित शिकायत को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण–दोष पर विचार किए बिना, रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश देते हुए निपटायाजाता है ि कवह लंबित अपील, यदि पहले से ही निपटायानहीं गया है, को यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः आदेश की प्राप्ति/संचार की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर निपटान करें।

6. उक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)